न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 35/2021

दायर दिनांक–08–07–2021

किशनाराम पुत्र बालू जाति कुम्हार निवासी ग्राम देवगांव तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. रामधन पुत्र बालू जाति कुम्हार निवासी ग्राम देवगांव तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. भारतीय स्टेट बैंक शाा बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)

–प्रतिवादी

वकील वादी :– श्री किशोर कुमार झाझड़िया
वकील प्रति. नं. :– राज. पैरोकार

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 31.08.2022

वाद वादी ने एक वाद इस कदर पेश किया कि वाके ग्राम देवगांव तहसील नवलगढ़ की सरहद मे आराजी नये खसरा नम्बर 450 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 451 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 452 रकबा 4.7900 हैक्टर, खसरा नम्बर 524/212 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 525/212 रकबा 0.0400 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 4.9200 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पैत्रिक कृषि सम्पदा है। उक्त आराजी वाद की विषय वस्तु है जिसे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पैत्रिक कृषि सम्पदा है, जो विरासत से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता बालू व ताउ चन्दा पुत्र रामसुख के कब्जे काश्त की भूमि थी। बालू व चन्दा दोनो सगे भाई थे, जिनमे से चन्दा के कोई पुत्र–पुत्री संतान नही थी चन्दा नाऔलाद फौत हुआ। बालू के उत्तराधिकारी उनके पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी मे 1/2 हिस्सा वादी व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है। परन्तु वादग्रस्त आराजी मे किशना पुत्र चन्दा हिस्सा 17/48, किशना पुत्र बालू हिस्सा 7/48 रामधन पुत्र बालू हिस्सा 7/48 रामधन पुत्र चन्दा हिस्सा 17/48 गलत दर्ज कर दिया। जबकि किशना पुत्र चन्दा व किशना पुत्र बालू दोनो नामो का एक ही व्यक्ति वादी ही है तथा रामधन पुत्र बालू व रामधन पुत्र चन्दा दोनो नामो का एक व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 1 है। इस प्रकार से राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक [illegible] अभिलेख बनाया है। जो निरस्तनीय है। वाद पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित आराजी मे 1/2 हिस्से का वादी को व 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

वादी द्वारा वाद–पत्र में अनुतोष चाहा है कि वादी के हक में वादी डिक्री फरमाया जाकर ग्राम देवगांव तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू की सरहद मे स्थित आराजी नये खसरा नम्बर 450 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 451 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 452 रकबा 4.7900 हैक्टर, खसरा नम्बर 524/212 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 525/212 रकबा 0.0400 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 4.9200 हैक्टर में 1/2 हिस्से का वादी को व 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार कातश्कार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जावें। अन्य कोई सिद्दि जो चाही जाने से रह गई है तथा वादी के पक्ष मे पड़ती है वह भी दिलवायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:24:49 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिादी संख्या 01 लगायत 03 बावजूद सम्यक तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही में लाई गई।

हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यता नही रहती है फलस्वरूतन तनकीयात कायम नही की गई। शहादत वादी में वादी स्वयं किशनाराम व गवाह महाबीर प्रसाद उपस्थित न्यायालय हाजा होकर अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये तथा वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात् प्रदर्श–1 ग्राम देवगांव जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श–2ए किशनाराम आधार कार्ड, प्रदर्श–3ए किशनाराम का मतदाता परिचय पत्र, प्रदर्श–4ए रामधन का आधार कार्ड, प्रदर्श–5ए रामधन का मतदाता परिचय पत्र, प्रदर्श–8 ग्राम देवगांव की जमाबंदी सम्वत 2026–2030 आदि प्रदर्शित कराये गये।

शहादत प्रस्तुत होने बहस वादी अधिवक्ता एकपक्षीय सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस वाद–पत्र के तथ्यों की पुनरावृति की गई। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाके ग्राम देवगांव की सरहद मे आराजी नये खसरा नम्बर 450 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 451 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 452 रकबा 4.7900 हैक्टर, खसरा नम्बर 524/212 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 525/212 रकबा 0.0400 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 4.9200 हैक्टर भूमि ग्राम देवगांव की सरहद में स्थित होना प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 खाता संख्या नया 450 से प्रमाणित है। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पैत्रिक कृषि सम्पदा है, जो विरासत से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता बालू व ताउ चन्द्रा पुत्र रामसुख के कब्जे काश्त की भूमि थी। बालू व चन्द्रा दोनो सगे भाई थे, जिनमे से चन्द्रा के कोई पुत्र–पुत्री संतान नही थी चन्द्रा नाऔलाद फौत हुआ। बालू के उत्तराधिकारी उनके पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी मे 1/2 हिस्सा वादी व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है, परन्तु वादग्रस्त आराजी मे किशना पुत्र चन्द्रा हिस्सा 17/48, किशना पुत्र बालू हिस्सा 7/48 रामधन पुत्र बालू हिस्सा 7/48 रामधन पुत्र चन्द्रा हिस्सा 17/48 गलत दर्ज कर दिया। जबकि किशना पुत्र चन्द्रा व किशना पुत्र बालू दोनो नामो का एक ही व्यक्ति वादी ही है तथा रामधन पुत्र बालू व रामधन पुत्र चन्द्रा दोनो नामो का एक व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 1 है। इस प्रकार से गलत राजस्व अभिलेख बना है, जिसको दुरूस्त किया जाना उचित है। वाद पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित आराजी में 1/2 हिस्से का वादी को व 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। फलस्वरूप वाद वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतया प्रमाणित होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित है न्यायोचित है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम देवगांव तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं की सरहद मे स्थित आराजी नये खसरा नम्बर 450 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 451 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 452 रकबा 4.7900 हैक्टर, खसरा नम्बर 524/212 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 525/212 रकबा 0.0400 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 4.9200 हैक्टर में 1/2 हिस्से का वादी को व 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरुस्त करने के तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **31.08.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:24:49 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास नवलगढ़ दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)

दावा बाबत घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 2021 / 35 (किशनाराम बनाम रामधन आदि)

पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दमयंती कवंर (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म एवं डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 31.08.2022 निर्णय अनुसार वादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम देवगांव तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद मे स्थित आराजी नये खसरा नम्बर 450 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 451 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 452 रकबा 4.7900 हैक्टर, खसरा नम्बर 524 / 212 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 525 / 212 रकबा 0.0400 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 4.9200 हैक्टर में 1 / 2 हिस्से का वादी को व 1 / 2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार कातश्कार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त करने के तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। जिन..........–........... मुबलिग..........–...........बाबत.....–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **31.08.2022** को जारी की गई।

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)
(दमयंती कंवर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:24:49 IST
Reason: SelfAttested